डीजी–परिपत्र संख्या–14 /2021

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः मार्च 24 ,2021

विषयः–त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन किया जाना आवश्यक है। वर्तमान समय में गांव में चुनाव के दृष्टिगत प्रत्याशियों में कड़ी प्रतिद्विदिता, गुटबाजी व तनाव बढ़ने के कारण हिंसक घटनायें होने की प्रबल सम्भावना रहेगी। ऐसी परिस्थितियों के दृष्टिगत उन स्थानों को चिन्हित करके उन समस्याओं का समाधान तथा वैधानिक कार्यवाही समय रहते किया जाना आवश्यक है।

आप सहमत होगें कि पंचायतों के निर्वाचन में शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील होते हैं। जिसमें ग्राम स्तर पर आपसी रंजिश, स्थानीय असामाजिक तत्व व स्थानीय राजनीति अर्न्तनिहित होती हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। इन असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की अशान्ति न फैलायी जा सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि पुलिस द्वारा ऐसे आपराधिक तत्वों पर सर्तक दृष्टि रखी जाये ताकि कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो, जिससे पंचायत निर्वाचन सम्पन्न कराने में कोई कठिनाई न हो।

पंचायत चुनाव को शान्तिपूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालनार्थ सुझाव निम्नवत् हैः–

❖ <u>अपराधियों का चिन्हीकरण एवं कार्यवाही–</u>

- जनपद में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति सक्रिय रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का चिन्हीकरण करके उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जनपद में पुरस्कार घोषित अपराधियों तथा ऐसे अपराधी जो विभिन्न अपराधों में नामजद और जिनकी गिरफ्तारी अभी नही हो सकी है, अभियान चलाकर गिरफ्तार किया जाये।
- अपराधियों के विरूद्ध उनके आपराधिक कृत्यों की गंभीरता, अपराधिक इतिहास आदि के आधार पर विधिक कार्यवाही की जाये।
- छोटी–छोटी घटनाओं की सूचना तीव्रतम संचार माध्यम द्वारा जनपद के संबन्धित अधिकारियों की दी जाये, ताकि किसी बड़ी घटना को होने से रोका जा सके।
- थानों में सक्रिय अपराधियों की सूची अध्यावधिक कर ली जाये और उन सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध नियमित अभियान चलाकर कार्यवाही की जाये, ताकि चुनाव की दौरान कोई गड़बड़ी न कर सके।
- मा0 न्यायालय द्वारा अपराधियों के विरूद्ध निर्गत किये गये गैर जमानतीय एवं जमानतीय वारण्टों की तामील तत्परता से करायी जाये।
- पेशेवर एवं सक्रिय अपराधी जो अपहरण से सम्बन्धित अपराधों में लिप्त रहते हैं और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे आपराधिक तत्वों को चिन्हित करते उनके विरूद्ध यथा वांछित कार्यवाही की जाये।
- जनपद में विभिन्न प्रकार के माफिया तत्व सक्रिय रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, ऐसे तत्वों का चिन्हीकरण कर उनके

Scanned by CamScanner

विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये जिससे चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न कर सके।

- चुनाव के दौरान सुरक्षा एवं शान्ति का महौल बनाना आवश्यक है इसके लिए आवश्यक है कि अपराधी स्वछंद विचरण न करे इस हेतु विभिन्न अपराधों में अपराधियों द्वारा न्यायालय में जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर जमानत न होने के लिए प्रभावी रूप से विरोध किया जाना चाहिए।
- ऐसे अपराधी जो जमानत पर हैं, तथा अपराध में लिप्त है अथवा ऐसे कृत्य कर रहें है जिससे समाज में भय व्याप्त हो रहा है उनके जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही समुचित ढंग से करायी जाये। जमानत की शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में जमानतदारों के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाये।

❖ **<u>हथियार, गोला बारूद एवं शराब से सम्बन्धित कार्यवाही–</u>**

➢ **लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन एवं जमा कराया जाना–**

- जनपद में ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारकों को अभिचिन्हित कर लिया जाये जिनसे निर्वाचन के दौरान हिंसा की संभावना हो, इन लाइसेंस धारकों के लाइसेंस/शस्त्र जमा करा लिये जायें।
- थाना क्षेत्र के उन सभी लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस एवं शस्त्र अवश्य जमा कराये जाने चाहिए जिन्हें किसी भी दृष्टि से संवदेनशील चिन्हित किया गया है।
- विशेषरूप से ऐसे व्यक्तियों को अवश्यमेंव अभिचिन्हित किया जाये जो जमानत पर हो अथवा जिनका आपराधिक इतिहास हो अथवा जो विशेषरूप से चुनाव के दौरान दंगा फसाद करा चुके हों, अन्य चुनाव अपराधों में अर्न्तग्रस्त रहे हो अथवा जिनके द्वारा शान्ति व्यवस्था या चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न किये जाने की संभावना हो इसके अतिरिक्त भी बहुत से कारक/कारण हो सकते हैं, जिनका लाइसेंसी शस्त्रों का जमा कराया जाना अतिआवश्यक एवं अपरिहार्य हो इस प्रकार के व्यक्तियों को शतप्रतिशत शस्त्र लाइसेंस जमा कराये जायें।

➢ **लाइसेंसी शस्त्र दुकानों की चेकिंग–**

- जनपद में जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से लाइसेंसी शस्त्र दुकानों की चेकिंग की जाये तथा इनका स्टाक भौतिक रूप से गिनती कर सत्यापित किया जाये यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो सम्यक वैधानिक कार्यवाही की जाये।

➢ **अवैध शस्त्रों की बरामदगी–**

- अवैध हथियारों, विस्फोटकों एवं विस्फोटक पदार्थो के संग्रह एवं प्रयोग पर सर्तक दृष्टि रखी जाये। ऐसी गतिविधियों में अर्न्तग्रस्त व्यक्तियों/समूहों के विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाये, इस परिप्रेक्ष्य में आपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण एवं दबिश व बरामदगी सम्बन्धी कार्यवाही नियमित अभियान के रूप में की जाये।
- अवैध शस्त्र बनाने की फैक्टरियॉ/स्थलों का पता लगाकर उनकी बरामदगी के सम्बन्ध में सघन अभियान चलाया जाये। विगत वर्षो में प्रकाश में आये ऐसे स्थलों/व्यक्तियों की पुनः समीक्षा कर ली जाये कि वह वर्तमान में सक्रिय है अथवा नहीं।

➢ **अवैध शराब की बरामदगी–**

- अवैध शराब के स्टॉक, बिक्री एवं उपलब्धता की दिशा में सूचना एकत्रित कर तत्काल कार्यवाही की जाये पूर्व में प्रकाश में आये व्यक्तियों/स्थालों की भी सक्रियता के आधार पर समीक्षा/चेकिंग आवश्यकतानुसार कर ली जाये।
- अवैध रूप से शराब बनाने की फैक्टरियॉ/स्थलों के सम्बन्ध में आबकारी टीम के साथ सघन अभियान चलाया जाये विगत वर्षो में प्रकाश में आये स्थानों/व्यक्तियों का सत्यापन भी अपेक्षित है।

Scanned by CamScanner

- अवैध मदिरा के नियन्त्रण तथा कच्ची शराब के निर्माण में मामले में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

❖ **निरोधात्मक कार्यवाही–**

- अपराधियों के विरूद्ध उनके आपराधिक कृत्यों की गंभीरता, आपराधिक इतिहास आदि के आधार पर गैगेस्टर अधिनियम एवं गुण्डा अधिनियम के अधीन परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जाये।
- विभिन्न कारणों से स्थानीय परिवेश में कटुता एवं वैमनुषता के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों व घटनाओं को कड़ाई से रोका जाना चाहिए ऐसी गतिविधियों में अर्न्तग्रस्त व्यक्तियों/समूह के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए इसके लिए आवश्यक है कि धारा 107/116/116(3)/151 द0प्र0सं0 एवं अन्य सम्यक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

❖ **अपराधियों की चेकिंग–**

- विभिन्न थाना क्षेत्रों के हिस्ट्रीशीटरों की वैधानिक रूप से नियमित चेकिंग की जाये और अपराध में लिप्त पाये जाने पर उनके विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाये। सक्रिय हिस्ट्रीशीटरों पर विशेष ध्यान दिया जाये।
- पूर्व में घटित चुनाव अपराधों में लिप्त पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध पर्याप्त निरोधात्मक कार्यवाही, उनकी वर्तमान गतिविधियों की पृष्टिभूमि में आवश्यकतानुसार कार्यवाही अवश्य की जाये। इन व्यक्तियों की निगरानी भी अवश्य की जाये।
- स्थानीय स्तर पर इस प्रकार की प्रभावी व्यवस्था की जाये कि सशस्त्र लोगों की समय–समय पर चेकिंग की जाये। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष एहतिहात बरतने की आवश्यकता है। आकस्मिक रूप से भी ऐसे स्थानो पर चेकिंग सुनिश्चित की जाये।
- महत्वपूर्ण स्थलों को दृष्टिगत रखते हुए वाहनों की आकस्मिक एवं प्रभावी चेकिंग की व्यवस्था की जाये। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु अथवा असामाजिक तत्वों के आवागमन को प्रभावी रूप से रोका जाये। वाहन चेकिंग की कार्ययोजना के कियान्वयन के मध्य विशेष सर्तकता, गुणवत्ता एवं आचरण के पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा।

❖ **सामान्य निर्देश–**

- वर्ष 2015 में सम्पन्न हुये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान घटित घटनाओं का विश्लेषण कर कार्यवाही की जाये।
- थानावार सभी संवेदनशील ग्रामों की पहचान कर वर्गीकरण करते हुए यथा अपेक्षित कार्यवाही की जाये।
- पूर्व में घटित चुनाव सम्बन्धी अपराधों में लिप्त पाये गये व्यक्तियों की निगरानी की जाये।
- सार्वजनिक स्थलों पर लाइसेंसी शस्त्रों के साथ खुले प्रदर्शन पर अंकुश लगाया जाये।
- निर्वाचन के दृष्टिकोण से अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील ग्रामों का चिन्हाकन करते हुए क्षेत्राधिकारी एवं एस0डी0एम0 द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण कर लिया जाये तथा श्रेणीवार ग्रामों की सूचना अद्याविधिक कर लिया जाये।
- बीट आरक्षी, स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं ग्राम चौकीदार से सक्रिय कर ग्राम से सम्बन्धित छोटी से छोटी सूचना पर समय से निस्तारण कराया जाये।
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से सम्बन्धित मुख्यालय स्तर से समय–समय पर परिपत्र निर्गत कर विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये उनका अक्षरशः पालन किया जाये।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त बिन्दु आपके मार्गदशर्न एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे है और इसके अतिरिक्त भी अनेक परिस्थितियॉ भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हो सकती है जिसके निराकरण हेतु आपके सक्रिय सहयोग एवं प्रयास की आवश्यकता होगी।

मै चाहूगा कि उपरोक्त बिन्दुओं का आप स्वंय गम्भीरता से अध्ययन कर ले। एक कार्यशाला के माध्यम से जनपद में नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दे तथा इस सम्बन्ध में सतर्क कर दे कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा शिथिलता न बरते, तथा उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

11/3/17

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक,प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner